न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 53 / 2020

1 राजेश कुमार पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 लक्ष्मी देवी पत्नी पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 निर्मल कुमार दत्तक पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 रोहिताश कुमार आयु 52 साल पुत्र स्व. श्रवणकुमार जाति मीणा निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बीसी झुन्झुनू जरिये मैनेजर।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पातुसरी जरिये मैनेजर।
5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिअधिकारी तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय
झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रोहिताश कुमार बनाम
निर्मलकुमार मु.नं. 135 / 2018 अ.धारा 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय
दिनांक 31.01.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—19.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 135/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 220, 439, 451 वाके ग्राम अजाड़ी खुर्द का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 रोहिताशकुमार ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थीगण के खेत के उतरी सीमा के पास रास्ते की मांग करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 रोहिताश ने कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ग्राम अजाड़ी खुर्द पटवार मण्डल कुलोद कलां में हाल खसरा नम्बर 220 रकबा .54 हैक्टेयर का खातेदार है तथा खसरा नम्बर 439 रकबा 0.21 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 451 रकबा 1.11 हैक्टेयर में 5/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 निर्मलकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा आगे दर्ज किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 रोहिताशकुमार खसरा नम्बर 451 रकबा 1.11 हैक्टेयर की मेड़ के मेड़ के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ा लम्बाई 190 फीट आवेदक के खेत तक रास्ता जाता है। प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2019 विचारण न्यायालय में आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया तथा रास्ता कायम करने का आदेश कर दिया उक्त आदेश की पालना करने के लिये तहसीलदार महोदय ने इसलिये मना कर दिया क्योंकि अपीलार्थीगण उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये तहसीलदार महोदय ने रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिये मना कर दिया। अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 451 रकबा 1.11 हैक्टेयर में सह खातेदार है। रेस्पोडेन्ट रोहिताश ने सह खातेदारान को माननीय विचारण न्यायालय में सह खातेदारान को पक्षकार न बनाकर गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचारण न्यायालय में उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2019 से गंभीर रूप से प्रभावित होते है इसलिये उक्त निर्णय अस्तित्व में रहने से अपीलार्थीगण के हित प्रभावित होते है इसलिये अपीलार्थीगण उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2019 के प्रभावित पक्षकार के रूप में अपील पेशकर रहे है। अपील प्रस्तुत करने के लिये दफा 96 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलार्थीगण को अपील पेश करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। उक्त निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली होने से काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित किया जावे इसलिये उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2019 काबिले निरस्त है। अपीलार्थीगण उक्त निर्णय के अस्तित्व में रहने से गम्भीर रूप से प्रभावित होते है क्योंकि अपीलार्थीगण भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

451 के सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार थे विचारण न्यायालय के समक्ष गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कानून के विपरित जाकर निर्णय पारित किया गया है। इसलिये उक्त निर्णय दिनाक 31.01.2019 काबिले निरस्त है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील संख्या 53/2020 में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.10.2019 की पत्रावली में दरख्वास्त 251 ए की कार्यवाही में रोहिताश (रेस्पोडेन्ट) ने आवेदन पेश किया व अपीलान्ट (विपक्षी) ने सहमति दी आर्डरशीट दिनांक 12.12.2018 में निर्मल कुमार का कथन है कि रोहिताश कुमार व अप्रार्थी निर्मल कुमार खेत के पड़ौसी है व मेरी खातेदारी के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी और कोई रास्ता नहीं है व हमेशा से पहले इनके पूर्वज प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते से आते जाते है। आर्डरशीट दिनांक 31.01.2019 में भी उक्त निर्मल कुमार के हस्ताक्षर है। खसरा नम्बर 451 तादादी 1.11 हैक्टेर में निर्मल कुमार का हिस्सा 5/12 है व उक्त निर्मल कुमार ने अपने हिस्से में से ही रास्ता दिया था व रास्ते की तरफ का हिस्सा उक्त निर्मल कुमार का ही था। परन्तु तहसीलदार झुन्झुनूं ने समस्त खातेदार फरीक ना होने से उक्त रास्ते का अमल दरामद नहीं किया तब यह दूसरा आवेदन पेश किया। परन्तु सीनीय राजनीति की वजह से रोहिताश (रेस्पोडेन्ट स.1) को रास्ता ना देने की नियत से खसरा नम्बर 451 के खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया व पुराने रास्ते की तरफ की जमीन का हिस्सा अपीलान्ट राजेश कुमार के हिस्से में दे दिया जिसका बटा नम्बर 517/451 तादादी 0.1640 हैक्टेयर दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट (रोहिताश) ने एक आवेदन 251 क उनवानी रोहिताश बनाम निर्मल कुमार वगे. पेश किया व उक्त आवेदन में पहले वाले निर्णय दिनांक 31.10.2019 का भी हवाला दिया था। अपीलान्ट ने अपने जवाब में आलटरनेट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ते का हवाला दिया है जो कि खसरा नम्बर 450 में से पगडण्डी बताई है परन्तु खसरा नम्बर 450 के खातेदारान ने यह शपथ पत्र दिया है कि हमारे खेत में से कोई पगडण्डी या रास्ता नहीं है व अपीलान्ट ने रास्ता के बाबत शहादत भी पेश नहीं की है। मौका रिपोर्ट गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 में साफ दर्ज कर रखा है कि प्रस्तावित रास्ता निकटतम दुरी का है। अपीलान्ट प्रार्थी राजेश वगे. ने इस बाबत कोई शहादत पेश नहीं की है कि यह पगडण्डी किस किसके खेत में से आती है। इस बाबत अपीलान्ट (राजेश वगै.) ने अपने जवाब में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। खसरा नम्बर 451 से सह खातेदार निर्मल कुमार में इस रास्ते को स्वीकार करके आता है। रास्ता देने के बाद में रेस्पोडेन्ट रोहिताश ने पड़ौसी खातेदार को अपनी जमीन में से रास्ता दिया है जिसका समर्पण पत्र व नक्शा साथ में पेश है। अपीलान्ट ने रास्ता बन्द किया था जिस रेस्पोडेन्ट ने खुलवाया है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता के अलग से खसरा नम्बर 536/517 दर्ज हो गये है व जमीन रास्ते के रूप में अंकन हो गया है। कानूनन रास्ते की जमीन को खातेदारी में नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2023 (2) रेव पेज 1131, डीएनजे 2023 (2) रेव पेज 978, डीएनजे 2023 (2) रेव पेज 932, डीएनजे 2024 (1) रेव पेज 349, डीएनजे 2022 (1) रेव पेज 102, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1615, डीएनजे 2022 (1) रेव पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 439 व 451 में से रास्ता चाहा गया। अपील मेमों के साथ प्रस्तुत जमाबंदी खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 439 व 451 से स्पष्ट है कि इन भूमियों में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट निर्मल कुमार के अलावा अपीलांट राजेश कुमार एवं लक्ष्मी देवी भी सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित किए बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर